

मु० न०- 175/2022

तारीखरजू- ३.10.22

उनवान:- इख्तार वगै० बनाम आसीन वगै०
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक

फर्द अहकाम

३/१०/२२

वादी की ओर से श्री जाकिर खान एड० ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 20.10.2022 को पेश हो।

552024
6.10.22



(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

20.10.22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न० 1 वगा० 4 की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल ए० ने जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० 5 परोक्ष सरकार उपस्थित। वास्ते जवाब पेश करने दिनांक 10.11.22 को पेश हो।



10.11.22 पत्रावली पेश हुई, वादी वकील उप०, प्रतिवादी वकील श्री सुनील कुमार जिन्दल ए० ने जवाब पेश करने के लिए समय पाया, सम्पन्न किया गया वास्ते जवाब दिनांक 13.12.22 को पेश हो।



13/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित, प्रतिवादी वकील को जवाब पेश करने की दिशागत दी गई। वास्ते जवाब 23.12.22 को पेश हो।



23.12.22

पत्रावली पेश हुई वकील उप० पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.1.23 को पेश हो।



दिनांक फर्द अहकाम

93126

पञ्जावली पेश हुई। वार की आर स काय स्थगन
रखा गया है। नतानुसार दिनांक... ~~18-2-26~~
को पेश हो।

18-2-26

DP

पञ्जावली पेश हुई। वार की आर स काय स्थगन
रखा गया है। नतानुसार दिनांक... ~~18-2-26~~
को पेश हो।

पञ्जावली पेश हुई। वार की आर स काय स्थगन
रखा गया है। नतानुसार दिनांक... ~~18-2-26~~
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली